

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाडमेर

क्रमांक/भू.अ./2024/ 2552

दिनांक 23/08/24

प्रार्थी:-

1. प्रहलादराम पुत्र भीखाराम, जाति सुथार
निवासी इटादा, तहसील धनाऊ
जिला बाडमेर

विप्रार्थीगण:-

1. इस्माईल पुत्र कबूल, जाति मुसलमान
2. हुकमा 3. गगा पि.सोमा, जाति सुथार
निवासी इटादा
तहसील धनाऊ, जिला बाडमेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राज.भू.राजस्व अधिनियम
वास्ते करने नेखमबंदी बाबत |

राजस्व आवेदन सं. 124/2024

दिनांक : 21.08.2024

आदेश

तहसीलदार धनाऊ को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील धनाऊ, पटवार क्षेत्र इटादा के मौजा इटादा के खेत खसरा सं. 897/165 रकबा 01.2060 हैक्टेयर भूमि के चारों तरफ पट्टे नेखम स्थापित करने हेतु आपको कमिशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की नेखमबंदी/पेमाईश आप अपने स्तर पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो दोनों पक्षों के स्वरूप मुस्तकिल/स्थाई विन्दु को आधार मानकर विधिसम्मत तरीके से उपरोक्त भूमि की नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करें।

आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है।

प्रार्थीनी कमिशनर को कमिशनर फीश रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे।



क्रमांक/भू.अ./2024/ 2553 to 56

प्रतिनिधि :-

1. तहसीलदार धनाऊ
2. प्रार्थी प्रहलादराम
3. विप्रार्थीगण इस्माइल वगैरा
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/बीजराड/धौरीमन्ना/धनाऊ/सेडवा

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन
दिनांक 23/08/2024

(सूरजभाई चौहटन)

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन